<u>र</u>जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082024-256629 CG-DL-E-24082024-256629

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] No. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

फा. स. रेग-11015/3/2024-रेगुलेशन-ऍफ़ एस एस ए आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और संशोधन के लिए कितपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अविध समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

5401 GI/2024 (1)

आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किए जाएँगे, उन पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम 2024 कहा जा सकता है।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अन्तर्गत परिशिष्ट क में, "IV. खाद्य उत्पादों में खाद्य सहयोज्य के प्रयोग" शीर्ष के अंतर्गत—

तालिका 1 में, खाद्य श्रेणी प्रणाली 1.2.1.1; किण्वित दूध (सामान्य), किण्वन के बाद जिसका ताप से संपर्क न हुआ हो से संबंधित प्रविष्टियों के सामने 'किसी योजक की अनुमित नहीं है' वाली प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

तालिका 1 दुग्ध एवं समरूप उत्पाद, श्रेणी संख्या 2.0 के उत्पादों को छोड़कर

खाद्य श्रेणी प्रणाली	खाद्य श्रेणी का नाम	खाद्य सहयोज्य	आइएनएस सं.	अधिकतम अपेक्षित	नोट
				स्तर	
"1.2.1.1	किण्वित दूध	नेटामाईसिन	235	5 mg/kg	3,80"
	(सामान्य), किण्वन	(केवल चक्का में)			
	के बाद जिसका ताप				
	से संपर्क न हुआ हो				

तालिका 1 में, खाद्य श्रेणी की प्रणाली 1.7: डेयरी आधारित डेजर्ट से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कॉलम (3) में खाद्य सहयोज्य "टोकोफेरोल्स" के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : —

तालिका 1 दुग्ध एवं समरूप उत्पाद, श्रेणी संख्या 2.0 के उत्पादों को छोड़कर

खाद्य श्रेणी प्रणाली	खाद्य उत्पाद का	खाद्य सहयोज्य	आइएनएस सं.	अधिकतम अपेक्षित	नोट
	नाम			स्तर	
"1.7	दुग्ध आधारित मीठे	नेटामाईसिन (केवल	235	5 mg/kg	3,80"
	पकवान	श्रीखण्ड में)			

जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./416/2024-25]

नोट: खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 1 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 2-15015/30/2010 द्वारा किया गया और इसका आखिरी संशोधन दिनांक 21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. एसटीडी/एफए/ए-1.30/सं.1/2020- एफएसएसएआई द्वारा किया गया।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024

F. No. REG-11015/3/2024-Regulation-FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazettecontaining this notification are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft regulations

- 1. **Short title and commencement.**—These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2024.
- 2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, Appendix A, under the heading "IV. Use of Food Additives in Food Products",—

In Table 1, against the entries relating to Food Category System 1.2.1.1: Fermented

milks (plain) not heat treated after fermentation, after the entry 'No additives permitted', the following shall be inserted, namely:—

Table 1

Dairy products and analogues, excluding products of category 2.0

Food Category system	Food Category Name	Food Additive	INS Number	Recommended Maximum Level	Note
"1.2.1.1	Fermented milks (plain) not heat treated after fermentation	Natamycin (Only in chakka)	235	5 mg/kg	3,80"

In Table 1, against the entries relating to Food Category System 1.7: Dairy based desserts, after the food additive "TOCOPHEROLS" in column (3), and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Table 1

Dairy products and analogues, excluding products of category 2.0

Food Category system	Food Category Name	Food Additive	INS Number	Recommended Maximum Level	Note
"1.7	Dairy based desserts	Natamycin (Only in shrikhand)	235	5 mg/kg	3,80"

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./416/2024-25]

Note: The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended vide notification F.No. STD/FA/A-1.30/No.1/2020-FSSAI, dated 21st February, 2023.